भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1236

जिसका उत्तर शुक्रवार 27 जुलाई, 2018 को दिया जाना है

**लोक सभा और राज्य विधन सभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए विधयी परिवर्तन** **1236. श्री रंजिब बिस्वाल :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराने की प्रक्रिया का कार्यान्वयन करने के लिए अनेक आवश्यक विधायी परिवर्तन करने पर सहमत हो गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने जनता के साथ-साथ राजनीतिक दलों के हितधारकों, शिक्षाविदों और संवैधानिक विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित किए हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आयोग को अब तक प्राप्त विचारों/सुझावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) आयोग द्वारा इस प्रक्रिया को कब तक पूरा किए जाने और निर्वाचन संबंधी कानूनों में आवश्यक परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) से (घ) :**  विधि आयोग ने सूचित किया है कि मामला अभी तक इसके परीक्षाधीन है । इसके अतिरिक्त सूचित किया गया है कि पणधारियों जिसमें, संविधान विशेषज्ञ शिक्षाविद, राजनैतिक दल, नौकरशाह, विद्यार्थी आदि सम्मिलित हैं, से परामर्श करने की प्रक्रिया भी चल रही है ।

**(ङ) :** विषय वस्तु की प्रकृति और जारी अध्ययन तथा परामर्शों के कारण इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए कोई समय-सीमा सूचित नहीं की जा सकती है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*